सत्यमेव जयते

राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड

<u>प्रेसविज्ञप्ति</u>

राज्यपाल ने की, जेल निरीक्षण के पश्चात गृह विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा।

देहरादून 02 अप्रैल, 2012

उत्तराखण्ड की राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने आज राजभवन में प्रमुख सचिव गृह तथा जेल महानिरीक्षक के साथ बैठक की।

राज्यपाल द्वारा, विगत दिनों सितारगंज, अल्मोड़ा, हल्द्वानी उपकारागार, हरिद्वार तथा देहरादून स्थित सुद्धोवाला जेल के निरीक्षण के दौरान कुछ प्रमुख विन्दुओं पर दिये गये अपने निर्देशों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही आख्या (एक्शन टेकन रिपोर्ट) की समीक्षा की गई।

आज की बैठक में राज्यपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जेल मैन्युवल के अनुसार जेलों में **''विजिटर्स बोर्ड''** के शीघ्र गठन, आवश्यकतानुसार कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से कानूनी सहायता शिविरों का आयोजन, कारागारों में मनोचिकित्सकों तथा परामर्शदाताओं के नियमित विजिट की व्यवस्था, 18 से 21 वर्ष के अंडर ट्रायल आरोपियों को जेल के अंदर व्यस्त रखने के लिए योग, मनोचिकित्सा, नैतिक शिक्षा तथा व्यावसायिक व रोजगारपरक गतिविधियों के संचालन हेतु की जा रही व्यवस्थाओं एवं योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

विभिन्न आरोपों में निरूद्ध तथा सिद्ध आरोपियों के लिए विभिन्न कारावासों में मानवीय आधार पर चलाये जा सकने वाले सुधारात्मक गतिविधियों के विषय में राज्यपाल द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों तथा निर्देशों के संदर्भ में आहूत आज की समीक्षा बैठक में जेल में रिक्त पदों को शीर्ष प्राथमिकता पर भरे जाने तथा राज्य में एक **''आदर्श महिला कारागार''** के निर्माण पर गंभीरता से विचार किया गया।

प्रमुख सचिव गृह श्री दिलीप कोटिया ने कहा कि इस विषय में यथाशीघ्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट पुस्तुत की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के कैदियों को संबंधित राज्यों में स्थानान्तरित करने, अल्मोड़ा जेल को **हैरिटेज साइट** के रूप में विकसित करने, जेलों में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने, जेल में कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों को आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों द्वारा क्रय किये जाने, अधिक उम्र के बीमार व अशक्त कैदियों की रिहाई तथा बेल व पैरोल पर छोड़े जाने के संदर्भ में भी राज्यपाल द्वारा आवश्यक निर्देश व सुझाव दिये गये।

बैठक में प्रमुख सचिव राज्यपाल श्री अशोक, अपर सचिव राज्यपाल श्री सचिन कुर्वे, अपर सचिव गृह श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, जेल महानिरीक्षक श्री भाष्करानन्द जोशी, संयुक्त सचिव गृह श्री जे.पी.जोशी भी उपस्थित थे।

———————0———————

सूचना अधिकारी श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मो0–9456590619 टेली फैक्स 0135–2756172